

दिनांक

आज्ञा पत्र

21.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भूरामल कुमावत हाजिर। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। तहसीलदार सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर आ.ता.पेशी दिनांक 21.08.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

8
21/8 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिनानुसार दिनांक 31-10-23 को पेश होगी।

31/10 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिनानुसार दिनांक 28-2-24 को पेश होगी।

19/11 पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील मिश्रल तलबी के आवेदन पर पेशी में ली गई। रिपोर्ट तहसीलदार इमांक: भू. अ. 2023 / पा 74 दिनांक 9.10.2023 प्राप्त। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार राजस्व ग्राम तारपुरा की अमावन्दी सम्वत 2066-69 के खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 366 में नामान्तरण संख्या 1891 दिनांक 30.01.2012 (निर्णय द्विती) के द्वारा प्रार्थी का नाम अर्जुन फुज गीदाराम जाति कुम्हार सो. देह खानेदार शेष खाना बदलूर अमावन्दी स्वीकार हुआ। प्रार्थी का नाम वर्तमान अमावन्दी सम्वत 2075-78 में अर्जुन फुज गीदाराम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी का नाम आखार फार्ड व पैन फार्ड में अजय कुमावत फुज गीदाराम कुमावत, परिचय पत्र में अजय फुज गीदाराम दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम अर्जुन के स्थान पर

रिपोर्ट तहसीलदार की स्वीकार किया जाता है
तथा निर्णय दिया जाता है कि राजस्व ग्राम तारपुरा
परवार हल्का तारपुरा तह. व जिला की जमाबन्दी
साल 2075-78 के खाता संख्या 103 में
खसरा नम्बर 366 में खातेदार का नाम अर्जुन पुत्र
श्रीदाराम के स्थान पर अर्जुन पुत्र श्रीदाराम दिया
जावे। पत्रावली फैसल कुमार होम नम्बर से मही।
दखिल दफ्तर ही। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर